सीजफायर के बाद जश्न में डूबा ईरान

ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इसे ईरान की जीत बताया

तेहरान, 08 अप्रैल. ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर दो हफ्ते के सीजफायर की घोषणा के बाद जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग झंडे लेकर सड़कों पर उतरे और लंबे समय से जारी तनाव, संघर्ष और हमलों के बीच राहत का अनुभव कर रहे हैं।

शहर के कई इलाकों में लोग एक-दूसरे को गले लगा रहे थे और खुशी जता रहे थे। इसके बावजूद, कुछ विरोधी प्रदर्शनकारी अमेरिका, इज़राइल और समझौते के खिलाफ नारों के साथ विरोध दर्ज करा रहे थे।

उन्होंने अमेरिकी और इज़राइल के झंडे जलाए और नारे लगाए कि समझौते करने वालों को नाश मिलना चाहिए. ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इसे ईरान की जीत बताया, वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि अमेरिका की सैन्य ताकत ने ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए राजी किया.

> भारत सहित कई देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में शांति की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। संयुक्त राष्ट्र ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए संघर्ष विराम को आवश्यक बताया है. फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के नेताओं ने भी इसे सकारात्मक कदम बताते हुए तनाव कम करने और दीर्घकालिक समाधान की जरूरत पर जोर दिया है.

मुद्रा योजना से आत्मनिर्भर हो रहा भारत

- आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा : पीएम
- मोदी ने धर्म के प्रति प्रतिबद्धता पर दिया जोर

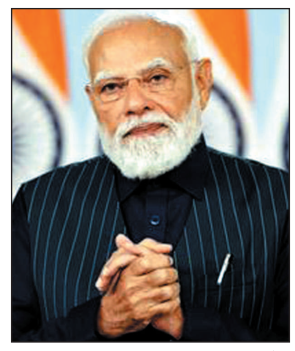

नई दिल्ली, 08 अप्रैल. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस योजना ने युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

मोदी ने सोशल मीडिया मंच पर अपने संदेश में कहा कि 11 वर्ष पहले शुरू की गई यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बेहद लाभकारी सिद्ध हुई है। वर्ष 2015 में शुरू की गयी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराना है, विशेषकर नए उद्यमियों और छोटे व्यवसायियों को ध्यान में रखते हुए. पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना की सफलता इस बात का प्रमाण है कि सही अवसर मिलने पर लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं और देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने अपने संदेश में एक संस्कृत श्लोक भी साझा करते हुए आत्मज्ञान, पहल, धैर्य और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता के महत्व पर जोर दिया.

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस योजना ने लाखों छोटे उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है, जिससे अनौपचारिक उधारी पर निर्भरता कम हुई है और जमीनी स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सरकार आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को देश की आर्थिक प्रगति के प्रमुख आधार के रूप में आगे बढ़ा रही है.

मल्लिकार्जुन खरगे ने गुजरात पर दिए बयान पर जताया खेद

नई दिल्ली 08 अप्रैल. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुजरात के लोगों के संबंध में दिये गये अपने विवादित बयान पर खेद व्यक्त किया है। श्री खरगे ने बुधवार को सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा कि उनके केरल में दिये गये चुनावी भाषण की कुछ बातों को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया है.

उन्होंने लिखा कि वह अपनी ओर से जिम्मेदारी लेते हुए इस पर खेद व्यक्त करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुजरात के लोगों के प्रति उनके मन में हमेशा सर्वोच्च सम्मान रहा है और आगे भी रहेगा। किसी की भावनाओं को आहत करना उनका उद्देश्य कभी नहीं था।

गौरतलब है कि केरल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि गुजरात के लोग %अशिक्षित% हैं और नरेंद्र मोदी उन्हें आसानी से गुमराह कर सकते हैं, जबकि केरल के लोग अधिक शिक्षित और समझदार हैं। इस बयान के बाद गुजरात और दिल्ली समेत कई जगहों पर कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुये हैं.

मथुरा समेत कई जिलों में बेमौसम बारिश

लखनऊ, 8 अप्रैल. उत्तर प्रदेश के मथुरा समेत कई जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। इसी तबाही के बीच एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां अपनी बर्बाद फसल को देखकर एक किसान को दिल का दौरा पड़ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. लगातार बारिश के कारण खेतों में कटी पड़ी फसल में अंकुर निकल आए थे, बालियां सड़ने लगी थीं और दाने काले पड़ गए थे। यह नुकसान देखकर वह गहरे सदमे में आ गए और अचानक गिर पड़े। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। क्षेत्र में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। अधिकांश किसानों की फसल खराब हो चुकी है.

भारतीय युद्धपोत 'त्रिकंड' पहुंचा केन्या

नई दिल्ली. भारतीय नौसेना का फ्रंटलाइन गाइडेड प्रक्षेपास्त्र युद्धपोत 'त्रिकंड' केन्या में प्रवेश कर चुका है. यह भारतीय युद्धपोत केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पर पहुंचा है. यहां भारत ने 100 राइफल और करीब 50 हजार गोलियां केन्या को दी हैं. भारत केन्याई रक्षा बलों को एमआरआई मशीन भी मुहैया कराएगा. दरअसल इस अत्याधुनिक युद्धपोत के केन्या आगमन का उद्देश्य भारत और केन्या के बीच समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करना व दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह- उधारकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं। नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	142488420	सम्पत्ति के बदले ऋण	28.03.2026	7,00,305.93/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के नाम: 1. समरथ खारोल 2. सुगन बाई खारोल

संपत्ति का पता: मकान संख्या 81, कुल क्षेत्रफलः 1400 वर्ग फुट (लंबाई 50 फुट और चौड़ाई 28 फुट), सर्वे संख्या 969, ग्रामः बरदिया गोयल, फोन नंबर 43, तहसीलः जावरा, जिलाः रतलाम, मध्य प्रदेश-457118 में स्थित, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में दुल्ला खारोल का घर, पश्चिम में नंदू खारोल का घर, उत्तर में सड़क, दक्षिण में खुला मैदान।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 09.04.2026
स्थान: मध्यप्रदेश

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

सार्वजनिक सूचना
स्वर्ण नीलामी सह निमंत्रण सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (बैंक) से सोने के आभूषण गिरवी रखकर ऋण लिया था और बार-बार याद दिलाने और नोटिस भेजने के बावजूद, वे निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। तदनुसार, बैंक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, बकाया राशि की वसूली के लिए 12/05/2026 से 14/05/2026 तक गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी आयोजित करेगा। उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि निरीक्षण/बोली की तिथि से पहले लागू ब्याज, शुल्क और खर्चों सहित पूरी बकाया राशि का भुगतान करने का यह अंतिम अवसर है, अन्यथा नियामक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों को नीलामी के माध्यम से बेच दिया जाएगा।

ऋण खाता संख्या	ऋण लेने वाले का नाम	शाखा का नाम
172422485	प्रहलाद सिंह	नागदा ग्रामीण
169521749	रामदास सूले	सनावद ग्रामीण
179122347	राज नारायण पाटीदार	तकीपुरा ग्रामीण
171871450	प्रवीन सिंह गौर	पंधाना ग्रामीण
173243915	शहबाज खान	देहरिया सराय ग्रामीण
176890864	अनिल गौर	हरदा ग्रामीण

नीलामी की स्थिति में यदि कोई अधिशेष राशि प्राप्त होती है, तो वह संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दी जाएगी। नीलामी के बाद यदि कोई घाटा/कमी रह जाती है, तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से उधारकर्ता से वसूल की जाएगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी खाते को नीलामी से हटाने का अधिकार रखता है। इसके अलावा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के, अपने विवेकानुसार नीलामी कार्यक्रम में संशोधन करने या उसे आगे की तिथि तक स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। नीलामी का आयोजन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सूचीबद्ध नीलामी सेवा प्रदाताओं, मेसर्स श्रीराम ऑटो मॉल इंडिया लिमिटेड द्वारा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक भौतिक रूप से किया जाएगा। यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उनके नामित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी पर लागू होंगी।

नीलामी की शर्तें एवं नियम :

1) संबंधित सोने के आभूषणों की बिक्री "जैसा है, जहाँ है", "जैसा है, जो है" और "जो भी उपलब्ध है" के आधार पर होगी।
2) इच्छुक बोलीदाताओं को बैंक के अधिकृत नीलामी सेवा प्रदाता के साथ पंजीकरण करना होगा और केवाईसी संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना होगा।
3) बोली जमा करने से पहले आभूषणों और उनकी विशिष्टताओं का निरीक्षण करना और उनसे संतुष्ट होना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। बोलीदाता शाखा प्रबंधक से परामर्श करके आभूषणों का निरीक्षण कर सकते हैं।
4) उच्चतम बोली बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
5) सफल बोलीदाता को निर्धारित समय के भीतर पूरी बिक्री राशि जमा करनी होगी, अन्यथा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
6) एक बार बेचे गए सोने के पाउच किसी भी परिस्थिति में विक्रेता को वापस नहीं किए जा सकते हैं और विजेता बोलीदाता/खरीददार द्वारा भौतिक रूप से सौंपे जाने के बाद विक्रेता किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
7) बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि को बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या नीलामी को रद्द/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
8) बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।

एसडी/-
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी

दिनांक: 09.04.2026
स्थान: मध्यप्रदेश

फडणवीस को निशाना बनाने वाला गिरफ्तार

- एआई-जनरेटेड वीडियो बनाने का आरोप

मुंबई, 08 अप्रैल. मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने जालना से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बदनाम करने वाला और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़े विमान दुर्घटना के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने वाला एआई-जनरेटेड वीडियो बनाने एवं प्रसारित करने का आरोप है.

अधिकारियों ने बुधवार को यहां बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 10 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने बताया कि उद्धव भगवान काप्से नामक युवक ने आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसे डिलीट किए जाने से पहले लगभग 1.5 लाख बार देखा गया था। जांचकर्ताओं ने पाया कि वीडियो में मुख्यमंत्री फडणवीस को निशाना बनाते हुए भ्रामक एवं मानहानिकारक सामग्री डाली गई थी. साथ ही विमान दुर्घटना से संबंधित तथ्यों को भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। आरोप है कि वीडियो में कई समाचार चैनलों के क्लिप को मिलाकर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग करके एक भ्रामक कहानी गढ़ी गई थी.

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां
नवभारत के माध्यम से

आज का इतिहास

1667- पेरिस में पहली पब्लिक आर्ट प्रदर्शनी लगाई गई.
1669- मुगल बादशाह औरंगजेब ने सभी हिन्दू स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया.
1756- बंगाल के नवाब अली वर्दी खान का 80 वर्ष की आयु में निधन.
1838- लंदन में नेशनल आर्ट गैलरी खोली गई
1860- फ्रांसीसी आविष्कारक एडौर्ड-लियोन स्कॉट डी मार्टिनविले ने पहली बार मानव आवाज रेकार्ड की.
1893- हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों में से एक राहुल सांकृत्यायन का जन्म। उन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है.

सूचना

मैं, दिलीप कुमार बतरा, स्वर्गीय श्री भगवानदास बतरा का पुत्र, निवासी 66, त्रिवेणी कॉलोनी मेन, इंदौर (म.प्र.) – 452007, ने शपथपत्र संख्या DK634559 दिनांक 06-02-2026 के अनुसार अपना नाम बदलकर दिलीप बतरा कर लिया है। अब मैं दिलीप बतरा के नाम से जाना जाऊंगा।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, महेन्द्र पवार (MAHENDRA PAWAR), पिता दुलीचंद पवार, निवासी इंदौर, ने अपना नाम बदलकर महेन्द्र (MAHENDRA) रख लिया है। अब मैं भविष्य में सभी कार्यों में महेन्द्र (MAHENDRA) के नाम से जाना जाऊँगा।

पता
54/4 , ASHIYANA PALACE , INDORE , INDORE , M.P

कार्यालय नगर परिषद राऊ जिला इंदौर

क्रमांक / 608 / लो.नि./ न.प. / 25-20 | दिनांक 02.04.2026
Email: cmorau@mpurban.gov.in

- निविदा आमंत्रण सूचना-

एतद् द्वारा समस्त समक्ष श्रेणी पंजीकृत ठेकेदार/ फर्म को सूचित किया जाता है कि ऑनलाईन टेण्डर ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम पोर्टल (http:/www.mptenders.gov.in) के माध्यम से दरें आमंत्रित की जाती हैं। निविदाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD
1	2	3	4	5
1	2026_UAD _497408_1	नगर परिषद् राऊ जिला इंदौर अंतर्गत वार्ड क्रमांक 12 विकास होटल के पीछे डी डब्लू सी ड्रेनेज लाइन निर्माण व पेवर ब्लॉक्स बिछाने का कार्य ।	1. 3 माह 2. 6,10,390/-	1. 2,000/- 2. 12,207/-
2	2026_UAD _497408_2	नगर परिषद् राऊ जिला इंदौर अंतर्गत वार्ड क्रमांक 11 साई विहार कॉलोनी अंतर्गत सी सी रोड निर्माण का कार्य ।	1. 3 माह 2 8,17,908/-	1. 2,000/- 2. 16,358/-
3	2026_UAD _497408_3	नगर परिषद् राऊ जिला इंदौर अंतर्गत तार फेंसिंग का कार्य द्वितीय निविदा आमंत्रणद्ध	1. 3 माह 2 8,10,301/-	1. 2,000/- 2. 16,206/-
4	2026_UAD _497408_4	नगर परिषद् राऊ जिला इंदौर अंतर्गत वार्ड क्रमांक 6 कमल नगर अंतर्गत यु शेप ड्रेन बनाने का कार्य ।	1. 3 माह 2 13,96,983/-	1. 2,000/- 2. 27,939/-
5	2026_UAD _497408_5	नगर परिषद् राऊ जिला इंदौर अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7 श्री राम नगर कॉलोनी अंतर्गत ड्रेनेज लाइन निर्माण का कार्य ।	1. 3 माह 2 25,35,830/-	1. 5,000/- 2. 25,358/-
6	2026_UAD _497408_6	निकाय क्षेत्र राऊ में जलप्रदाय व्यवस्था अतंर्गत विभिन्न प्रकार के सिविल मरम्मत कार्य आवश्यकतानुसार एस.ओ. आर दर पर मरम्मत कार्य कार्य कराने की स्वीकृति बाबद ।	1. 12 माह	1. 10000/- 2. 50000/-
7	2026_UAD _497423_1	निकाय क्षेत्र राऊ अंतर्गत आवश्यकतानुसार अधोसंरचना स्टोर्स (बवदेनउंइसम 'जवतमे) एवं सहायक सामग्रीयां प्रदाय बाबद ।	1. 12 माह	1. 2000/- 2. 10000/-

नोट :-
1. निविदा समूह कमांक 1 से 3 तक प्रपत्र ऑनलाईन क्रय कर जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 27.04.2026 सायं 18:00 बजे तक निर्धारित हैं एवं निविदा समूह क्रमांक 4 से 7 तक प्रपत्र ऑनलाईन क्रय कर जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 07.05.2026 सायं 18:00 बजे तक निर्धारित हैं
2. यह केवल संक्षिप्त निविदा सूचना है एवं प्रपत्र की समस्त शर्तें बंधनकारी होगी। विस्तृत निविदा उपरोक्त वेबसाईड पर देखी जा सकती है।
3. निविदाकार को उपरोक्तानुसार अमानत राशि एवं निविदा प्रपत्र के मुल्य की राशि जमा की जाना अनिवार्य जिस हेतु निकाय द्वारा किसी भी प्रकार की छुट (exemption) प्रदान नहीं की जाती है। अन्यथा की स्थिति में संबंधित की निविदा दर पर विचार नहीं किया जावेगा ।
4. निविदा सूचना में कोई भी संशोधन समाचार पत्रो मे न दिये जाकर वेबसाईट पर जारी किये जायेगे। जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जावेगी ।

(श्रीमती पप्पी विजय पाटीदार)
अध्यक्ष,
नगर परिषद, राऊ (इंदौर)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, राऊ (इंदौर)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग झाबुआ (म.प्र.)

Phone number (07392-244259) E-Mail address (eeresjhabua@rediffmail.com)
क्रमांक 750 / व. ले.लि. / ग्रायांसे / 2026 | झाबुआ, दिनांक 26/04/2026

/ / ऑन लाईन निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक - 01/2026-27 //

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग झाबुआ के निम्नांकित निर्माण कार्यो हेतु केन्द्रीयकृत ई-पंजीयन व्यवस्था अंतर्गत सिविल श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारो से क्रमशःदो लिफाफा पद्धति से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा संशोधित प्रपत्र एपेडिक्स 2.10 अनुसार अद्यतन संशोधन, निर्धारित तिथि (Key Date) अनुसार तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जारी एस.ओ.आर. दिनांक 11.04.2022 से प्रभावशील दर अनुसूची (निविदा विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक तक संशोधित) के आधार पर ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। आमंत्रित निविदा शासन के पोर्टल https://www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	ग्रायांसे संभाग	ऑनलाईन टेण्डर आई. डी.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	निविदा लागत (PAC) (राशि रूपये में)	अमानत राशि (राशि रूपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (राशि रूपये में)	समयावधि (वर्षाकाल सहित)	आमंत्रण क्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	झाबुआ	2026_RES_497054	अतिरिक्त कक्ष निर्माण 1. प्राथमिक विद्यालय छायनखुर्द 2. प्राथमिक विद्यालय कमालिया फलिया ढढोरी 3. प्राथमिक विद्यालय जुनागॉव	रानापुर	1966206	2000	39324	09 माह वर्षाकाल सहित	द्वितीय
2	झाबुआ	2026_RES_497055	अतिरिक्त कक्ष निर्माण 1. प्राथ. शाला बुचा फलिया खपेडिया माल 2. प्राथ शाला होली फलिया बन 3. प्राथ शाला सेमलिया फलिया चापरखेडा	रानापुर	1966206	2000	39324	09 माह वर्षाकाल सहित	द्वितीय
3	झाबुआ	2026_RES_497056	अतिरिक्त कक्ष निर्माण 1. प्राथमिक शाला पेमा फलिया गवसर 2. प्राथ शाला उबेराव	रानापुर	1310804	2000	26217	09 माह वर्षाकाल सहित	द्वितीय

निविदा संबंधी तिथियाँ (Key Dates) :-
1. प्रकाशन का दिनांक - 09.04.2026 10:00 बजे
2. निविदा प्रपत्र क्रय करने का प्रारंभ दिनांक - 10.04.2026 11:00 बजे
3. निविदा दर प्रस्तुत करने का प्रारंभ दिनांक - 10.04.2026 13:00 बजे
4. निविदा दर प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक - 25.04.2026 18:00 बजे
5. निविदा तकनीकी बिड खुलने का दिनांक - 27.04.2026 समय 10.00

G11181/26

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग झाबुआ

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.
उज्जैन शाखा: 06 / प्रथम मंजिल, कमला नेहरू मार्ग, फ्रीगंज, आईडीबीआई बैंक के ऊपर, शहीद पार्क के पास, उज्जैन 456010 (म.प्र.)
रतलाम शाखा: ग्राउंड फ्लोर, 19, पैलेस रोड, चिंतामन गणेश मंदिर के सामने, रतलाम - 457001 (मध्य प्रदेश)
धार शाखा: प्लॉट नंबर-70, प्रथम मंज़िल, त्रिमूर्ति नगर, मेन रोड, जिला धार - 454001 (मध्य प्रदेश)
शुजालपुर शाखा: मकान नं. 17, वार्ड नं. 15, पंजाबी मोहल्ला, दिगम्बर जैन मंदिर रोड़, शुजालपुर मंडी, शुजालपुर जिला म.प्र.-465333
खंडवा शाखा: प्लॉट नं. 1, श्री नगर कॉलोनी इन्दौर रोड, खंडवा-452001 (म.प्र.)
मंदसौर शाखा : मकान नं. 164, गांधी मार्केट वार्ड-13, यशोदाधाम मार्ग, झोन नं. 7, नूतन स्कूल के सामने, मंदसौर -458001, मध्यप्रदेश

ई-नीलामी - बिक्री सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। इसके द्वारा सामान्य रुप से सर्वसाधाण को और विशेष रुप से ऋणी(यों) एवं जमानतदार(ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका कब्जा आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **'जैसा है जहां है'**, **'जैसा है जो है'**, **और 'जो कुछ भी है'** बिना किसी ज्ञात बाधा के आधार पर विक्रय किया जाएगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रं.	ऋणी(यो)/सह ऋणी(यो)/ जमानतदार	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (RP का 10%)	कब्जे का प्रकार
1	(लोन कोड नं. 02000000331 / उज्जैन शाखा) अनिता सतपाड़िया (ऋणी), मनोज कुमार झाला (जमानतदार)	10-04-2024 & ₹ 5,87,991/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नंबर 2567 2 सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के पास, शिक्षक कॉलोनी बदनावर रोड, उज्जैन म.प्र. 456771 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - सड़क, पश्चिम - सड़क, उत्तर - पांचाल जी का खाली प्लॉट, दक्षिण - ज्योति शर्मा की खाली भूमि	Rs. 10,00,000/-	Rs. 1,00,000/-	भौतिक
2	(लोन कोड नं. 02200000526/ रतलाम शाखा) मनोज चंदावाला (ऋणी) लक्ष्मी मनोज (सह-ऋणी) मधु कुमावत (जमानतदार)	06-02-2025 & ₹ 13,03,053/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, 712/3 प्लॉट नंबर 132 का मध्य भाग, सैफी नगर कॉलोनी अंगिरा धर्मशाला के पीछे, रतलाम जिला रतलाम, म.प्र., 457001 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व-प्लॉट नंबर 133, पश्चिम-रोड़, उत्तर -उसी प्लॉट के शेष भाग पर बना जैन साहब का मकान , दक्षिण-उसी प्लॉट के शेष भाग पर बना बैरागी जी का मकान	Rs. 13,84,416/-	Rs. 1,38,442/-	भौतिक
3	(लोन कोड नं. 06800000083 एवं 06800000718 / धार शाखा) सलमान खान (ऋणी) इरफान खान (सह-ऋणी)	08-04-2025 & ₹ 5,42,813/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, आवासीय मकान सेटलमेंट नंबर 411, पटवारी हल्का नंबर पुराना 55 नया 100, ग्राम आबादी लुन्हे रबुजुर्ग, तहसील मनावर, धार, मध्य प्रदेश- 454001 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - कालेखा पिता शब्बा खा का मकान, पश्चिम - लुन्हेरा उमरबन रोड, उत्तर- फिरोज चाचा का मकान, दक्षिण - शाजदा खा पिता शबाब खा का मकान	Rs. 9,73,800/-	Rs. 97,380/-	भौतिक
4	(लोन कोड नं. 09110000470 / शुजालपुर शाखा) युसुफ शाह (ऋणी) सकीना बी (सह-ऋणी)	12-05-2025 & ₹ 4,49,659/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, जीएफ मकान नं. 138, ग्राम सुंदरसी सीरीयल नं.25, सुंदरसी तहसील पोलायकलां शाजापुर मध्य प्रदेश 465113, **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- स्वयं की भूमि, पश्चिम- पब्लिक वे, उत्तर- मुस्तुफ शाह का मकान, दक्षिण- बुकी शाह का मकान	Rs. 6,04,800/-	Rs. 60,480/-	भौतिक
5	(लोन कोड नं. 05500000190/ खण्डवा शाखा) कस्तूरी बाई बसोबे (ऋणी) बाबूलाल बसोबे (सह-ऋणी) सागर बसोबे (जमानतदार)	28-09-2025 एवं ₹ 10,94,290/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प्लॉट ईडब्ल्यूएस-14, तुलजा विहार पर स्थित, सिहाड़ा रोड खंडवा (म.प्र.), **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व: एलआईजी बी प्लॉट, पश्चिम: रोड, उत्तर: ईडब्ल्यूएस-13, दक्षिण: ईडब्ल्यूएस-15	Rs. 3,44,520/-	Rs. 34,452/-	भौतिक
6	(लोन कोड नं. 02210000953/ रतलाम शाखा) असलम जारोरी (ऋणी) इशरा ताजक (सह-ऋणी)	10-07-2025 एवं ₹ 15,56,698/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नं. 90/2 की भूमि पर प्लॉट नं. 18 का पश्चिमी भाग, ग्राम राजगढ़ तहसील एवं जिला रतलाम-457001, म.प्र. **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- जानी बाई का मकान, पश्चिम- नाली, उत्तर- नाली, दक्षिण- रोड	Rs. 11,25,000/-	Rs. 1,12,500/-	भौतिक
7	(लोन कोड नं. 11000000364 / मंदसौर शाखा) राजीव कुमार पांचाल (ऋणी) सविता (सह-ऋणी)	06-11-2024 & ₹ 8,47,593/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, विवेकानंद नगर पश्चिम भाग प्लॉट नंबर 144 वार्ड नंबर 13 मनासा, नीमच, म. प्र. 458110 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - प्लॉट नंबर 144 का शेष भाग, पश्चिम - प्लॉट नंबर 143, उत्तर - प्लॉट नंबर 128, दक्षिण - सड़क	Rs. 12,07,440/-	Rs. 1,20,744/-	भौतिक

1. केवाईसी, निविदा प्रपत्र एवं स्वीकृत नियम एवं शर्तों (निविदा दस्तावेज) के साथ बयाना राशि का डीडी जमा करने की अंतिम तिथि **28-04-2026 शाम 5:00 बजे** तक ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर या **https://bankeauctions.com** पर अपलोड की गई है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेजों को अमान्य निविदा माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा । ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा । **2.** संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि **29-04-2026 दोपहर : 03:00 बजे से 04:00 बजे तक https://bankeauctions.com** पर है। **3.** जैसा कि ऊपर बताया गया है, एएचएफएल संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो है वह है' के आधार पर** की जाएगी । **4.** डिमांड ड्राफ्ट केवल 'आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में बनाया जाना चाहिए । **5.** नीलामी/बोली केवल वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से 'ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें। **6.** इच्छुक बोलीदाताओं को **https://bankeauctions.com/registration/ signup,** लिंक के माध्यम से पोर्टल मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए, और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। **7.** अधिक जानकारी के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, **दिपक मालवीय, (संपर्क नंबर 7583898990)** या सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, **श्री प्रभाकरन, मोबाईल नं. +91-74182-81709, ई-मेल: tn@c1india.com & support@bankeauctions.com,** फोन नं. **+917291981124 /25 /26** से संपर्क करें। आज तक, एएचएफएल/ एएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने और/या निपटान करने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है। **8.** बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल), सुरक्षित ऋ णदाता की वेबसाइट यानी **www.aadharhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें। **9.** नीलामी के लिए बोली वृद्धिशील राशि **रु. 10,000/-** है। **10.** यह समाचार पत्र प्रकाशन एवं इसमें निहित डेटा आम जनता के प्रसार के लिए है। इस सामग्री का किसी भी रुप में या किसी भी माध्यम से, चाहे प्रिंट, डिजिटल, किसी भी रुप में इलेक्ट्रानिक प्रकाशन, ईमेल या वेब प्रकाशन, या किसी भी अन्य माध्यम से, संपूर्ण या आंशिक रुप से किसी भी तरह से पुनरुत्पादन, वितरण, प्रसारण या पुनर्प्रकाशन सख्त वर्जित है। किसी भी माध्यम से उपरोक्त सामग्री के किसी भी अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरुप AHFL द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

स्थान : मध्यप्रदेश, दिनांक : 09.04.2026